भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं.114

दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

भूमि अभिलेख का डिजिटलीकरण

†*114. श्री प्रवीण पटेलः

श्री कंवर सिंह तंवरः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व के प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए कोई प्रयास किया है और यदि हां, तो उसका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित राज्य-वार/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विवादों के समाधान को सरल बनाने, अदालतों के बोझ को कम करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने में डिजिटलीकृत अभिलेख की भूमिका क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) देश में पूरी तरह से डिजिटलीकृत भूमि अभिलेख का उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, महाराष्ट्र में पालघर जिले और उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनकी कुल संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार ने 1975में दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन लोगों को प्रदान की गई कृषि भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए कोई प्रयास किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 114 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) भूमि प्रशासन राज्य का विषय है जो संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची (सूचीII) के क्रम संख्या 18 तथा 45 और समवर्ती सूची (सूची III) की क्रम संख्या 6 तथा 42 पर सूचीबद्ध है जबकि भूमि राजस्व प्रशासन प्रणाली राज्य विशिष्ट अधिनियमों/नियमों/विनियमों और केंद्र सरकार के कुछ अधिनियमों तथा नियमों/विनियमों द्वारा शासित होती है।

भारत सरकार, देश में भूमि अभिलेखों/रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण/ कंप्यूटरीकरण के लिए वर्ष 2016-17 से केंद्र सरकार की ओर से शत प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) नामक एक व्यापक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ; (i) भूमि पर रियल टाइम सूचना में सुधार होगा; (ii) भूमि संसाधनों का इष्टतम उपयोग होगा; (iii) भू स्वामियों तथा भावी क्रेता-विक्रेता, दोनों को लाभ मिलेगा; (iv) नीति तथा नियोजन में सहायता मिलेगी; (v) भूमि विवादों में कमी आएगी; (vi) धोखाधड़ीपूर्ण/ बेनामी लेनदेन पर रोक लगेगी; (vii) राजस्व/रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी;तथा (viii) विभिन्न संगठनों/एजेंसियों के साथ सूचनाओं को साझा किया जा सकेगा। इसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

(ख) डीआईएलआरएमपी, भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और डिजिटीकरण के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र, ग्रामीण या शहरी, निर्धन या धनी, किसान या मजदूर या उद्यमियों आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना भारत के नागरिकों को सशक्त बनाने और उन्हें लाभान्वित करने हेतु भूमि सूचना और प्रबंधन प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए एक डिजिटल पहल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के डिजिटल भूमि अभिलेखों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ त्रुटिरहित, पारदर्शी और छेड़छाड़-रहित भूमि अभिलेख उपलब्ध कराना, भूमि विवादों को कम करना, संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाना तथा नीति/नियोजन आदि में सहायता करना है।

(ग) देश में पूर्ण रूप से डिजिटलीकृत भूमि अभिलेखों की स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, महाराष्ट्र में पालघर जिले और उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 03.12.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 114 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कंप्यूटरीकृत भूमि अभिलेख (सीएलआर)					
				गांवों की सं.	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल अधिकारों के अभिलेख	गांवों की कुल सं.	पूरे किए गए कंप्यूटरीकृत भूमि अभिलेखों की (सं.)	पूरे किए गए कंप्यूटरीकृत भूमि अभिलेखों की (%)
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1,20,449	205	205	100.00
2	आंध्र प्रदेश	2,72,94,315	17,564	17,344	98.75
3	असम	43,78,822	23,033	19,687	85.47
4	बिहार	4,25,33,351	45,949	45,743	99.55
5	चंडीगढ़	5,392	25	25	100.00
6	छत्तीसगढ़	2,21,54,450	19,818	19,672	99.26
7	गोवा	7,89,875	425	425	100.00
8	गुजरात	1,19,40,832	18,389	18,387	99.99
9	हरियाणा	49,29,960	7,100	6,885	96.97
10	हिमाचल प्रदेश	11,87,349	21,067	20,922	99.31
11	जम्मू और कश्मीर	65,91,042	6,850	6,828	99.68
12	झारखंड	24,14,830	32,945	32,707	99.28
13	कर्नाटक	1,68,45,472	30,715	29,404	95.73
14	केरल	1,42,81,074	1,674	1,674	100.00
15	लद्दाख	249	247	71	28.51
16	लक्षद्वीप	72,425	24	24	100.00
17	मध्य प्रदेश	4,56,42,133	55,693	55,678	99.97
18	महाराष्ट्र	2,40,07,776	44,798	44,781	99.96
19	मणिपुर	6,11,343	2,715	548	20.18
20	मिजोरम	3,56,587	911	495	54.34
21	नागालैंड	1,07,830	1,600	512	32.00
22	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	67,010	207	196	94.69

23	ओडिशा	1,45,62,018	51,788	51,726	99.88
24	पुडुचेरी	2,98,219	130	130	100.00
25	पंजाब	56,71,959	13,016	12,731	97.81
26	राजस्थान	1,22,28,999	48,719	47,417	97.33
27	सिक्किम	1,82,596	421	413	98.10
28	तमिलनाडु	2,32,01,068	16,810	16,797	99.92
29	तेलंगाना	1,29,19,557	10,947	10,190	93.08
30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	96,352	100	98	98.00
31	त्रिपुरा	13,06,362	897	897	100.00
32	उत्तराखंड	15,22,960	16,691	15,820	94.78
33	उत्तर प्रदेश	2,25,66,485	1,09,096	1,05,593	96.79
34	पश्चिम बंगाल	4,85,93,416	42,423	42,240	99.57

नोट: अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों में सामुदायिक स्वामित्व के मुद्दे के कारण अन्य राज्यों की तरह भूमि अभिलेख उपलब्ध नहीं है तथा लद्दाख ने पिछले कुछ वर्षों में ही डिजिटलीकरण का कार्य आरंभ किया है। उपर्युक्त आंकड़ें मौजूदा भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए है और इसमें वे क्षेत्र शामिल नहीं है जहां भूमि अभिलेख नहीं हैं।

अनुबंध (क)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**गांवों की कुल सं.**	**गांवों की सं.**	
			पूरे किए गए कंप्यूटरीकृत भूमि अभिलेखों की (सं.)	**पूरे किए गए कंप्यूटरीकृत भूमि अभिलेखों की (सं.)**
अमरोहा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति				
	अमरोहा, उत्तर प्रदेश	1280	1274	99.53%
पालघर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति				
	पालघर, महाराष्ट्र	1013	1013	100%